

**AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDIA AND GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA ON CO-
OPERATION IN THE SPHERES OF CULTURE, SCIENCE AND EDUCATION**

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Lithuania (hereinafter in the agreement referred to as "Agreeing Parties"),

willing to fortify amicable relations of the both Parties, as well as co-operation in the spheres of culture, arts, education, science, sport, mass media, tourism and youth affairs, and with confidence that better mutual relations of the both Agreeing Parties shall benefit from such co-operation,

have agreed:

Article 1

Following the principles of equal rights and mutual benefit, as well as their respective laws and regulations, the Agreeing Parties have agreed to encourage and support the co-operation of the both Parties' governmental and non-governmental organizations in the spheres of culture, arts, education, science, sport, mass-media, tourism and youth affairs.

Article 2

The Agreeing Parties, trying to develop the co-operation of their respective universities, science and technology institutions, shall encourage direct relations between those institutions.

Co-operation in the fields of scientific researches and technologies will be discussed by separate agreements.

Article 3

The Agreeing Parties shall co-operate in the sphere of education and support other country scientists and specialists' participation in the international conferences organised in any of the both Parties.

The Agreeing Parties shall encourage the exchange of history, geography, culture, economic and social development textbooks, as well as other educative material among the both countries, and shall exchange the curricula, educative methods and manuals issued by the both countries' education institutions.

The Agreeing Parties shall encourage pupils' exchanges.

Article 4

The Agreeing Parties shall inform one another about their higher education systems, research and study institutions, possibilities to study and work on probation in their country's higher institutions, as well as shall exchange their higher education specialists.

When possible, the Agreeing Parties shall offer scholarships for postgraduate studies(in order to get Master or Doctor's degree) in their country's higher education institutions. Academic exchanges shall take place in accordance with the co-ordinated interstate or interdepartmental co-operation programmes, in which general and financing conditions shall be discussed.

Article 5

The Agreeing Parties shall exchange information and analyse the possibilities to recognise other country's education documents and academic degrees and will sign a separate agreement on this issue.

Article 6

The Agreeing Parties shall develop the translations of books and publications in the subjects of culture, arts, science and technology, as well as the exchanges of libraries and publishing houses.

Article 7

The Agreeing Parties shall encourage the development and co-operation in the spheres of music, theatre, opera and ballet, and shall support mutual exchanges of troupes and plays.

The Agreeing parties shall also exchange performers of various music branches, soloists and groups.

Article 8

The Agreeing Parties shall support art propagation and other cultural exhibitions.

Article 9

The Agreeing Parties shall give preference to co-operation in the spheres of cultural heritage, museums and archaeology. The both Parties shall enable other country's people to get access to their libraries and archives in accordance with the laws and regulations effective in that country.

Article 10

The Agreeing Parties shall support co-operation between the cinematography institutions of the both Parties, in order to acquire and exchange films, as well as participate in the International cinema festivals organised in any of the both Parties.

Article 11

The Agreeing Parties shall ensure the protection of other party's copyrights within its territory following the laws and regulations effective in that country.

Article 12

The Agreeing Parties shall encourage and support co-operation and exchanges of the both Parties' youth organisations.

Article 13

The Agreement does not breach any Agreeing Party's rights and duties established by other international agreements.

Article 14

For the execution of this Agreement, respective institutions of the Agreeing Parties shall in separate spheres ratify co-operation programmes, providing specific activities and financing conditions.

Article 15

This Agreement shall come into force on the day, when the both Agreeing Parties inform each other about the fulfilment of their internal procedures, related with its coming into force

Article 16

The Agreement shall be valid for the period of five years; afterwards it shall be automatically prolonged for further five-year periods, unless any Agreeing Party provides the other Party with a written notice about its intentions to terminate the Agreement. In this case, it would be terminated after the period of six months from the day of the receipt of such notice.

In case of the termination of this Agreement, all the programmes would be further executed till their fulfilment in accordance with the provisions of this Agreement, unless otherwise agreed by the Parties.

The Agreement may be altered and supplemented only with a written consent of the both Agreeing Parties. Alterations and supplements of the Agreement shall come into force by the same procedure as the Agreement.

This Agreement is made at New Delhi on this 20th day of February, 2001 in two copies, each of which is made in Hindi, Lithuanian and English languages, all the texts having equal power. If disagreements arise in its interpretation the English text shall prevail.



ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDIA



ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

संस्कृति, विज्ञान और शिक्षा
के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार
और लिथुआनिया गणराज्य की सरकार
के मध्य करार

भारत गणराज्य की सरकार और लिथुआनिया गणराज्य की सरकार (इसके पश्चात् करार में इनका उल्लेख "सहमतकारी पक्षकार" के रूप में किया जाएगा।)

दोनों पक्षकारों के मैत्रीपूर्ण संबंधों तथा संस्कृति, कला, शिक्षा, विज्ञान, खेल-कूद, जन-प्रचार माध्यम, पर्यटन और युवा कार्य के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने की इच्छा से तथा इस विश्वास के साथ कि दोनों सहमतकारी पक्षकारों के बेहतर पारस्परिक संबंधों से ऐसे सहयोग को बढ़ावा मिलेगा,

सहमत हुई हैं :-

अनुच्छेद 1

समान अधिकारों और पारस्परिक हितलाभ के सिद्धांतों तथा अपने-अपने कानूनों व विनियमों का अनुसरण करते हुए सहमतकारी पक्षकार संस्कृति, कला, शिक्षा, विज्ञान, खेल-कूद, जन-प्रचार माध्यम, पर्यटन और युवा कार्य के क्षेत्र में दोनों पक्षकारों के सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग को प्रोत्साहन व समर्थन देने के लिए सहमत हुए हैं।

अनुच्छेद 2

सहमतकारी पक्षकार, अपने-अपने विश्वविद्यालयों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थाओं के सहयोग को विकसित करने का प्रयास करते हुए, इन संस्थाओं के बीच प्रत्यक्ष संबंधों को प्रोत्साहित करेंगे।

वैज्ञानिक शोधों व प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग पर अलग करारों के माध्यम से चर्चा की जाएगी।

अनुच्छेद 3

सहमतकारी पक्षकार शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करेंगे और किसी भी पक्षकार द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में दूसरे देश के वैज्ञानिकों व विशेषज्ञों की सहभागिता का समर्थन करेंगे।

सहमतकारी पक्षकार दोनों पक्षकारों के बीच इतिहास, भूगोल, संस्कृति, आर्थिक और सामाजिक विकास की पाठ्यपुस्तकों तथा अन्य शिक्षाप्रद सामग्री के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेंगे तथा दोनों देशों की शैक्षिक संस्थाओं द्वारा जारी पाठ्यचर्याओं, शैक्षिक विधियों व नियम पुस्तिकाओं का आदान-प्रदान करेंगे।

सहमतकारी पक्षकार छात्रों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेंगे।

अनुच्छेद 4

सहमतकारी पक्षकार अपनी-अपनी उच्च शिक्षा प्रणालियों, शोध व अध्ययन संस्थाओं तथा अपने-अपने देश की उच्च संस्थाओं में अध्ययन करने तथा परिवीक्षा पर कार्य करने की संभावनाओं के बारे में एक-दूसरे को सूचित करेंगे।

जब संभव हो, सहमतकारी पक्षकार अपने-अपने देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए अध्येतावृत्तियां (ताकि स्नातकोत्तर या डाक्टरेट डिग्री प्राप्त की जा सके) प्रदान करेंगे। शैक्षिक आदान-प्रदान समन्वित अंतरराज्यीय या अंतर-विभागीय सहयोग कार्यक्रमों के अनुसार होंगे जिनमें सामान्य और वित्तीय शक्तों पर चर्चा की जायेगी।

अनुच्छेद 5

सहमतकारी पक्षकार एक दूसरे देश के शिक्षा दस्तावेजों और शैक्षिक डिग्रियों को मान्यता प्रदान करने हेतु सूचना का आदान-प्रदान करेंगे और संभावनाओं का विश्लेषण करेंगे तथा इस विषय पर एक पृथक् करार पर हस्ताक्षर करेंगे।

अनुच्छेद 6

सहमतकारी पक्षकार संस्कृति, कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विषयों में पुस्तकों के अनुवाद और प्रकाशन तथा पुस्तकालयों और प्रकाशन गृहों के आदान-प्रदान के क्षेत्र में कार्य करेंगे।

अनुच्छेद 7

सहमतकारी पक्षकार संगीत, थियेटर, ओपेरा और नृत्य-नाटक के क्षेत्रों में विकास और सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे तथा मंडलियों और नाटकों के पारस्परिक आदान-प्रदान का समर्थन करेंगे।

सहमतकारी पक्षकार विभिन्न संगीत शाखाओं के प्रदर्शकों, एकल गायकों और समूहों का भी आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 8

सहमतकारी पक्षकार कला प्रसार और अन्य सांस्कृतिक प्रदर्शनियों में सहायता देंगे।

अनुच्छेद 9

सहमतकारी पक्षकार सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालयों और पुरातत्व के क्षेत्रों में सहयोग को वरीयता देंगे। दोनों पक्षकार एक दूसरे देश के लोगों को उस देश में लागू नियमों और विनियमों के अनुसार उनके पुस्तकालयों और अभिलेखागारों की सुविधा प्राप्त करने में समर्थ बनायेंगे।

अनुच्छेद 10

सहमतकारी पक्षकार दोनों पक्षों की चलचित्रिकी संस्थाओं के बीच सहयोग का समर्थन करेंगे ताकि फिल्में प्राप्त की जा सकें और उनका आदान-प्रदान हो सके, तथा दोनों पक्षकारों में से किसी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा महोत्सवों में भाग लिया जा सके।

अनुच्छेद 11

सहमतकारी पक्षकार दूसरे पक्ष के कॉपीराइट की सुरक्षा उस देश में लागू नियमों और विनियमों का अनुसरण करते हुए अपने क्षेत्र में सुनिश्चित करेंगे।

अनुच्छेद 12

सहमतकारी पक्षकार दोनों पक्षकारों के युवा संगठनों में सहयोग और आदान-प्रदानों को प्रोत्साहित और समर्थन प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 13

यह करार अन्य अंतर्राष्ट्रीय करारों द्वारा स्थापित सहमतकारी पक्षकार के किन्हीं अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लंघन नहीं करता है।

अनुच्छेद 14

इस करार के निष्पादन के लिए, सहमतकारी पक्षकारों की संबंधित संस्थाएं, विशिष्ट कार्यकलापों और वित्तपोषण की व्यवस्था करते हुए, अलग-अलग क्षेत्रों में सहयोग कार्यक्रमों का अनुसमर्थन करेंगी।

अनुच्छेद 15

यह करार उस दिन से प्रभावी होगा जब दोनों सहमतकारी पक्षकार इसमें प्रभावी होने से संबंधित अपनी आन्तरिक प्रक्रियाओं के संपादन के संबंध में एक दूसरे को सूचित करेंगे।


अनुच्छेद 16

यह करार पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, तत्पश्चात् यह और पांच-पांच वर्षों की अवधियों के लिए स्वतः बढ़ जायेगा, जब तक सहमतकारी पक्षकारों में से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को इस करार को समाप्त करने के अपने इरादे के संबंध में लिखित सूचना नहीं देता है। इस मामले में, ऐसी सूचना प्राप्त होने के दिन से छह माह की अवधि के पश्चात् इसे समाप्त कर दिया जायेगा।

इस करार की समाप्ति के मामले में, सभी कार्यक्रमों को इस करार के प्रावधानों के अनुसार इनके पूरा होने तक कार्यान्वित किया जायेगा, यदि दोनों पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति नहीं हुई हो।

करार दोनों सहमतकारी पक्षकारों की लिखित सहमति से ही परिवर्तित और परिवर्धित किया जा सकता है। करार में किये गये परिवर्तन और परिवर्धन इस करार की प्रक्रियाओं के अनुसार ही प्रभावी होंगे।

यह करार नई दिल्ली में वर्ष दो हजार एक के फरवरी माह के बीसवें दिन लिथुआनियाई, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं, प्रत्येक में दो-दो प्रतियों में तैयार किया गया है, सभी पाठों का प्रभाव समान है। यदि इसके निर्वाचन में मतभेद उत्पन्न होता है, तो अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।



भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से



लिथुआनिया गणराज्य की
सरकार की ओर से